



कार्यालय: वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: cfmedininagar@gmail.com

दूरभाष / Phone: 06562.224953, 8987790232

पत्रांक— 382

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

मेदिनीनगर, दिनांक - 11/6/26

विषय:— 132 KV/DC छतरपुर से जपला ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 23.2676 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्र संख्या—FP/JH/TRANS/150441/2021/12 दिनांक—07.01.2025 एवं आपका ज्ञापांक 81 दिनांक 24.01.2025 तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल का पत्रांक 1119 दिनांक 26.05.2026

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि पलामू जिलान्तर्गत छतरपुर से जपला 132 KV/DC ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु अपयोजित होने वाले वन भूमि (अधिसूचित वन भूमि 17.6276 हे० एवं गैर मजरूआ जंगल—झाड़ी 5.64 हे०) कुल 23.2676 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्र संख्या—FP/JH/TRANS/150441/2021/12 दिनांक—07.01.2025 द्वारा दस बिन्दुओं पर की गई पृच्छा का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ने उपलब्ध कराया है।

संचिका के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०—यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

11/6/26

कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर ।

पत्रांक- 1119 दिनांक- 26/05/2026.

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर ।

विषय:-

132 KV/DC छतरपुर से जपला ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 23.2676 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में ।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक 312 दिनांक 12.05.2026 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि पलामू जिलान्तर्गत छतरपुर से जपला 132KV/DC ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 23.2676 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव पर भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के पत्र संख्या-FP/JH/TRANS/150441/2021/12 दिनांक 07.01.2025 द्वारा 10 बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण निम्नवत् है ।

1. **Site suitability Certificate** संलग्न है ।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित **Cost Benefit Analysis** समर्पित कर दी गयी है ।
3. भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धारा अन्तर्गत वनवाद दायर है । झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के आदेश संख्या-2501 दिनांक 12.06.2013 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन के मामलों में वन वाद दायर करने हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में एक त्रिस्तरीय समिति गठित की गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक 892 दिनांक 25.04.2026 द्वारा उपायुक्त से आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था, पुनः इस कार्यालय का पत्रांक 1116 दिनांक 26.05.2026 द्वारा उपायुक्त, पलामू को आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित सभी अभिलेखों को हस्ताक्षर करा दी गयी है तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरीत कर दी गयी है।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर ।